BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 15 फरवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त आरिफ पुत्र मौ0 अली निवासी मऊखेडा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 07.12.2020 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं– 1550/2020 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.01.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुआ, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 15.02.2025 को न्यायाधीश श्री वरुण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आरिफ को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार व श्री ईशान चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।